

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्रांक:- 9फ/मा०स्वा०/2019-20/85

लखनऊ/दिनांक 26/04/2019

विषय:-संस्था NIMHANS, Bengaluru द्वारा आयोजित "Diploma in community Health" प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-863/पॉच-7-2018, दिनांक 27 जुलाई, 2018, एवं तत्क्रम में महानिदेशालय के पत्र संख्या 9फ/मा०स्वा/2018-19/1011, दिनांक 06/08/2018, 9फ/मा०स्वा/2018-19/2785, दिनांक 5/12/2018 एवं 9फ/मा०स्वा/2019-20/3091, दिनांक 19/03/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रतियाँ संलग्न) जिसके माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को मनोरोग विधा में प्रशिक्षित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को NIMHANS, Bengaluru द्वारा आयोजित मनोरोग विधा के प्रशिक्षण संबंधी शासन के उक्त (पत्र संलग्न) पत्र का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,
मानसिक स्वास्थ्य, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं:-9फ/मा०स्वा०/2018-19/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उ०प्र०।
5. निदेशक (नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग कि वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,
मानसिक स्वास्थ्य, लखनऊ।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्रांक:- 9फ/मा०स्वा०/2019-20/

लखनऊ/दिनांक 26/04/2019

विषय:-संस्था NIMHANS, Bengaluru द्वारा आयोजित "Diploma in community Health" प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-863/पॉच-7-2018, दिनांक 27 जुलाई, 2018, एवं तत्क्रम में महानिदेशालय के पत्र संख्या 9फ/मा०स्वा/2018-19/1011, दिनांक 06/08/2018, 9फ/मा०स्वा/2018-19/2785, दिनांक 5/12/2018 एवं 9फ/मा०स्वा/2019-20/3091, दिनांक 19/03/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रतियाँ संलग्न) जिसके माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को मनोरोग विधा में प्रशिक्षित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को NIMHANS, Bengaluru द्वारा आयोजित मनोरोग विधा के प्रशिक्षण संबंधी शासन के उक्त (पत्र संलग्न) पत्र का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,
मानसिक स्वास्थ्य, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं:-9फ/मा०स्वा०/2018-19/86-90

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उ०प्र०।
5. निदेशक (नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग कि वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,
मानसिक स्वास्थ्य, लखनऊ।